N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0307 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/12/2024 16:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 30/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/12/2024 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/12/2024 16:56:19 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** DEVGAON, TUNGA JAIPUR GRAMEEN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GOVINDRAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GANGARAM MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1966 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM DEVGAON, TUNGA, BASSI(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM DEVGAON, TUNGA, BASSI(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JITENDRA KUMAR BAIRWA		पिता:SITARAM BAIRWA	1. GIRDHARIPURA,POST JEETAWALA,BASSI,BASSI(JAIPUR CITY (EAST)),JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 27.09.2024 को समय करीब 10.00 एएम पर परिवादी श्री गोविन्दराम पुत्र श्री गंगाराम मीना उम्र 58 साल जाति मीना निवासी ग्राम देवगॉव, तहसील तुगॅा जिला जयपुर ग्रामीण ने दिनांक 26.09.2024 को श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय एसीबी जयपुर के कार्यालय में कार्यवाही हेतु उपस्थित होने पर श्रीमान से एंव उनके मार्फत परिवादी गोविन्दराम से जरिये दूरभाष हुई वार्ता की पालना में उपस्थित कार्यालय होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान महानिदेषक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर को सम्बोधित करते हुये श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय को मार्क इस आशय की पेश की गई कि मेरी खातेदारी जमीन खसरा नं. 147/1, 12, 12/1, 126, 127, 128, 128/1, 128/2, 128/3, 146 व 147 राजस्व गॉव देवगॉव का तकास्मा (विभाजन) करवाने के लिए हल्का पटवारी देवगॉव को निवेदन किया था उक्त भूमि हमारे परिवार की संयुक्त है। काफी चक्कर लगाने के पश्चात हमारे दस्तावेज 16.08.2024 तैयार कर लिये गये हमारा सहमति पत्र व विभाजन पत्र तैयार कर लिया गया है लेकिन अभी तक तहसील कार्यालय में प्रस्तुत नही जा रहा है। इस कारण से विभाजन का नामान्तकरण भी लम्बित चल रहा है। 16 अगस्त के पश्चात मै कई बार हल्का पटवारी देवगॉव श्री जितेन्द्र बैरवा (एमएन) से सम्पर्क कर चुका हू लेकिन वह आगे की कार्यवाही करने के लिए रिश्वत के रूप में 10,000 रूपयों की मांग करते है और कहते है रूपये दोगे तभी तुम्हारा कार्य करूंगा। मै पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हू और उसके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हू। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करे। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का मन उप अधीक्षक पुलिस ने अवलोकन कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से मजिद दरियाफत की गई तो परिवादी ने अपने आप को कम पढा लिखा होना, केवल हस्ताक्षर करना ही जानना तथा उक्त लिखित रिपोर्ट अपने मिलने वाले से लिखवाकर लाना एंव पटवारी श्री जितेन्द्र कुमार से कोई रंजिश, दुश्मनी व उधार का लेन देन बाकि नही होना तथा अपनी लिखित रिपोर्ट में अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन देन का पाये जाने पर परिवादी श्री गोविन्दराम का परिचय श्री राकेश कुमार कानि0 70 से करवाया जाकर मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मैक सोनी निकालकर व उसमें एसडी कार्ड 16 जीबी लगाकर परिवादी श्री गोविन्दराम को उसे चलाने व बन्द करने की विधि समझाई जाकर, वाईस रिकॉर्डर के सभी फोल्डर एंव एसडी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को टेप करने की समझाईश की जाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ श्री राकेश कुमार कानि0 70 को मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी के पटवार घर देवगॉव तहसील तुगॅा के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 01.06 पीएम पर श्री राकेश कुमार कानि0 70 ने जरिये वाट्सअप कॉल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि परिवादी श्री गोविन्दराम व मै अपने कार्यालय से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी के पटवार घर देवगॉव तहसील तुगॅा के नजदीक पहुचे, जहा पर परिवादी ने संदिग्ध आरोपी से उसके मोबाईल पर वार्ता कि तो संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को अपने भाई का बीमार होने के कारण बाहर होना एंव दो तीन दिन तुगॅा में नही आने बाबत बताया गया। इस पर उक्त दिनांक को मांग सत्यापन की कार्यवाही नही होने पर श्री राकेश कुमार कानि0 70 को परिवादी से वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी के आने के बारे में सूचना ज्ञात कर अवगत करवाने व गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर वही छोडकर कार्यालय में आने बाबत कहा गया। इसके बाद समय 04.30 पीएम पर श्री राकेश कुमार कानि0 70 देवगॉव तहसील तुगॅा जिला जयपुर ग्रामीण से उपस्थित कार्यालय आया व मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष बताई गई वार्ताओं से पुनः अवगत करवाया गया। कानि0 से वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद दिनांक 30.09.2024 समय करीब 09.30 एएम पर श्री राकेश कुमार कानि0 70 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मेरी परिवादी श्री गोविन्दराम से जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता हुई है एंव परिवादी ने मुझे संदिग्ध आरोपी के उसके कार्यालय में आने व मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने बाबत अवगत करवाया है। इस पर कानि0 की परिवादी से हुई वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी पटवारी उनके पटवार घर में उपस्थित होने पर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु कानि0 को समय करीब 10.00 एएम पर कार्यालय की आलमारी से पूर्व का सुरक्षित रखा हुआ वाईस रिकॉर्डर आलमारी से बाहर निकालकर मय एसडी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर सुपर्द कर परिवादी से सम्पर्क करने व परिवादी

को वाईस रिकॉर्डर मांग सत्यापन हेतु सुपुर्द करने की मुनासिब हिदायत कर बाद मांग सत्यापन वाईस रिकॉर्डर वापिस लाकर पेश करने की हिदायत कर रवाना संदिग्ध आरोपी के पटवार घर देवगॉव, तहसील तुगॅा जिला जयपुर ग्रामीण के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.42 पीएम पर श्री राकेश कुमार कानि0 70 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष वाट्सअप कॉल कर बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र बैरवा पटवारी ने परिवादी से उसका तकासमा करने की एवज में 12,000 रूपये रिश्वत की मांग की है तथा परिवादी कह रहा कि मेरे घर पर काम है एंव मुझे रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है इसलिए मै आपके साथ नही जा सकता। इस पर मैने परिवादी से वार्ता कर मांग सत्यापन के बारे में पूछा गया एंव रिश्वत राशि साथ लेकर आने के लिए कहा तो परिवादी ने कानि0 द्वारा बताई गई बाते ही बताई जाकर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत कहा गया। इस पर कानि0 श्री राकेश कुमार को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर परिवादी को वही छोडकर कार्यालय में आने के लिए कहा गया। इसके बाद समय 05.10 पीएम पर श्री राकेश कुमार कानि0 70 बाद मांग सत्यापन के कस्बा देवगॉव, तहसील तुगॅा जिला जयपुर ग्रामीण से उपस्थित कार्यालय आया व मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुपुर्द शुद्दा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मै यहा से रवाना होकर कस्बा देवगॉव में दुकान माया मिष्ठान भण्डार के नजदीक पहुचा तो मुझे परिवादी श्री गोविन्दराम जी उपस्थित मिले। इसके बाद हम दोनों वहा से परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी पटवारी के पटवार घर देवगॉव के नजदीक पहुचे और मोटरसाईकिल को एक साईड में खडी कर मैने वाईस रिकॉर्डर चालूकर मांग सत्यापन हेतु परिवादी को सुपुर्द किया जाकर मै तो उस पटवार घर के बाहर रूक गया तथा परिवादी उस पटवार घर के अन्दर चला गया। कुछ समय बाद परिवादी उस पटवार घर से बाहर निकलकर मेरे पास आया तो मैने उससे वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में लिया, तब परिवादी ने मुझे बताया कि मै पटवारी श्री जितेन्द्र बैरवा जी के पास उनके पटवार घर में गया तो वह मुझे अपने पटवार घर में कार्य करते हुये मिले, जिनसे मैने अपने तकासमा के कार्य बाबत वार्ता कि तो उन्होने मेरे से मेरे एंव मेरे भाईयों के सभी के मिलाकर तकासमा करने के लिए 12,000 रूपये की रिश्वत की मांग कर श्री बनवारी ई-मित्र वाले को देने के लिए कहा। मैने उनसे हुई सभी बातों को टेप में टेप कर लिया। इसके बाद हम दोनों वहा से रवाना होकर कस्बा देवगॉव में आये। तत्पश्चात परिवादी ने मुझे कहा कि मेरे घर पर जरूरी कार्य है एंव मुझे रिश्वत राशि की व्यवस्था भी करनी है। मै रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊगॅा। इसके बाद मै आपके निर्देषानुसार परिवादी को वहीं छोडकर वहा से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात श्री राकेश कुमार कानि0 70 के द्वारा पेश किये गये डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालू कर सुना तो उसमें कानि0 को परिवादी द्वारा बताई गई बातो का रिकॉर्ड होना एंव संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से उसका एंव उसके भाईयों का तकासमा करने की एवज में परिवादी से 12,000 रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। टेप रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 09.10.2024 को समय करीब 01.10 पीएम पर व दिनांक 21.10.2024 को समय करीब 11.30 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री गोविन्दराम से अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये दूरभाष वार्ता करना चाही गई तो परिवादी के मोबाईल पर वार्ता नही हो सकी एंव परिवादी का मोबाईल नोट रिचेबल बताया गया। इसके बाद दिनांक 18.11.2024 को समय 09.37 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री गोविन्दराम से अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये दूरभाष उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता की गई तो परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मै बिमार हू और मेरे पास अभी रिश्वत राशि की व्यवस्था भी नही हो रही, मै ठीक होने पर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित होता हू। इस पर परिवादी को ठीक होने पर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित होने बाबत कहा गया। तत्पश्चात दिनांक 24.11.2024 को समय 01.23 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री गोविन्दराम से अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये दूरभाष उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता की गई तो परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मै कल आपके कार्यालय में उपस्थित हो रहा हू। इसके बाद दिनांक 25.11.2024 को समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री गोविन्दराम कार्यालय में उपस्थित आया एंव मन उप अधीक्षक पुलिस को दिनांक 30.09.2024 को हुये मांग सत्यापन के बारे में पुनः अवगत करवाकर बताया की साहब मेरी तबियत खराब होने व रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होने के कारण मै आपके पास नही आ सका और अब पटवारी श्री जितेन्द्र बैरवा को मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही की भनक लगने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के बाद उसने मेरा तकासमा का कार्य भी कर दिया है जिसकी मै नकल भी तहसील कार्यालय से प्राप्त कर ली है। पटवारी श्री जितेन्द्र बैरवा कार्यवाही के भय से अब मेरे से न तो रिश्वत राशि प्राप्त कर रहा है और न ही रिश्वत के सम्बन्ध में कोई वार्ता कर रहा है। अतः आप मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही को यही समाप्त करने की कृप्पा करे। इस पर परिवादी की बातों को सही मानते हुये एंव संदिग्ध आरोपी को कार्यवाही की भनक लगने एंव परिवादी से रिश्वत के सम्बन्ध में कोई वार्ता नही करने पर समय करीब 02.10 पीएम पर कार्यवाही के लिए पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, महवा व श्री राजकुमार शर्मा वनरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दौसा जिला-दौसा को अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित आने हेतु कहा गया तो पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह समय 02.20

पीएम पर कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी-अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी से परिचय करवाया गया एंव परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट को पढवाया गया तो दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में अंकित सभी तथ्य सही होना ताईत किया। तत्पश्चात दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-2 हस्ताक्षर किये। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी एंव संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का देवगॉव तहसील तुगॅा जिला जयपुर ग्रामीण के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओ को परिवादी ने विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 30.09.2024 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था को अलमारी से निकालकर कार्यालय के कम्प्युटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब-षब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं में आरोपी श्री जितेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का देवगॉव तहसील तुगॅा जिला जयपुर ग्रामीण की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री गोविन्दराम द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की डीवीडी बनाने हेतु मालखाने से चार खाली डीवीडी ली जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से चार डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर चारों डीवीडी पर मार्क- A-1, A-2, A-3, A-4 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री गोविन्दराम के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क A-1, A-2, A-3 को प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित तीनों डीवीडी को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर श्रीमती मन्जू महिला हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा चौथी डीवीडी मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। डिजिटल टेपरिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड को आईन्दा बाद ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न सील मोहर कर बतौर वजह सबूत जब्त किया जावेगा। रिकॉर्ड शुद्दा वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट मय हिन्दी रूपान्तरण के मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार कार्यालय के लैपटॉप पर श्री राकेश कुमार कानि0 70 से तैयार करवाई गई। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती डीवीडी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 05.00 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री गोविन्दराम के समक्ष उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 30.9.2024 को परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री जितेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का देवगॉव तहसील तुगॅा जिला जयपुर ग्रामीण एंव परिवादी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता रिकार्ड की हुई थी एंव जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पूर्व में तैयार की गई है, उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उस मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया जाकर जब्त शुदा एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB मार्क SD को मालखाना ईन्चार्ज श्रीमती मन्जू देवी हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द जब्ती मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात बाद सम्पन्न कार्यवाही गवाहान व परिवादी को कार्यालय से रवाना किया गया। सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री जितेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का देवगॉव तहसील तुगॅा जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री गोविन्दराम पुत्र श्री गंगाराम मीना उम्र 58 जाति मीना निवासी ग्राम देवगॉव, तहसील तुगां जिला जयपुर ग्रामीण से उसकी एंव उसके भाईयों के नाम खातेदारी जमीन खसरा नं0 147/1, 12, 12/1, 126, 127, 128, 128/1, 128/2, 128/3, 146 व 147 राजस्व गॉव देवगॉव का तकास्मा करने की एवज में मांग सत्यापन के समय दिनांक 30.09.2024 को 12,000 रूपये रिश्वत की मांग करना एंव फिर आरोपी को परिवादी के बिमार होने पर काफी दिनों तक रिश्वत की राशि नही देने व कार्यवाही की भनक लगने पर कार्यवाही के भय से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के बाद परिवादी एंव उसके भाईयो की खातेदारी जमीन खसरा नं0 147/1, 12, 12/1, 126, 127, 128, 128/1, 128/2, 128/3, 146 व 147 का तकासमा कर देना स्पष्ट रूप से पाया गया। आरोपी श्री जितेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का देवगॉव तहसील तुगां जिला जयपुर ग्रामीण का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री सीताराम बैरवा, निवासी गिरधारीपुरा, पोस्ट-जीतावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण, हाल आर.पी.जी. पटवारी पटवार

हल्का देवगॉव तहसील तुगॅा जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (नवल किशोर) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर,उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,दौसा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जितेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री सीताराम बैरवा, निवासी गिरधारीपुरा, पोस्ट-जीतावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण, हाल आर.पी.जी. पटवारी पटवार हल्का देवगॉव तहसील तुगां जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुनिल सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ग्रामीण, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 325 पर अंकित है।(कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1700-03 दिनांक 26-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर। 2- जिला कलक्टर,जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा। उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** sunil sihag **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/12/2024 17:...

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): KALU RAM RAWAT

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/08/1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)